# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2032/2014................ जिला..........चित्तौडगढ

उनवान–मै. बिडला कॉरपोरेशन लिमिटेड,चन्देरिया बनाम अतिरिक्त आयुक्त(अपील्स),उदयपुर व ासहायक आयुक्त,वाणिज्यिक, विशेष वृत, भीलवाडा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.12.2014 | एकलपीठ<br>श्री सुनील शर्मा, सदस्य<br><br>अपीलार्थी के ओर से श्री एम.एल.पाटोदी एवं ईशू जैन, अभिभाषक व एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी. ओझा उपस्थित।<br><br>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से दो तीन अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अतिरिक्त आयुक्त,अपीलीय अधिकारी,वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 01.11.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर,विशेष वृत,भीलवाडा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है ) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 8.8..2014, जो अधिनियम की धारा 33 एवं 55 के तहत् निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिये पारित किये गये हैं, में विवादित राशि रू. 4,23,313/– में से 2,25,000/– पर अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि रू. 1,98,313/–पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गई।<br><br>उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 4,23,313/– में से 2,25,000/– पर अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि रू. 1,98,313/–पर रोक नहीं लगाये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2014 में अंकित नहीं किया गया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 1,98,313/–की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।<br><br>निर्णय सुनाया गया ।<br><br>(सुनील शर्मा)<br>सदस्य | |